भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1997

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष योजना

1997. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) वर्ष 2015-16 से अब तक निर्भया कोष के अंतर्गत योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ख) हाल के वर्षों में मंत्रालय को और विशेषकर निर्भया कोष के अंतर्गत आवंटित धनराशि के अल्प उपयोग, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसकी रोकथाम और उपचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/ उठाए जाने का विचार है;

(घ) देश में विशेषकर राजमार्गों और सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पहलों के लिए निर्भया कोष हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी की गई धनराशि और उसके उपयोग का योजना/ परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में निर्भया कोष द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए कोई आवधिक लेखापरीक्षा की जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): निर्भया कोष के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कुल 7212.85 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी की गई और निर्भया कोष से उपयोग की गई कुल राशि 5512.97 करोड़ रुपये है, जो कुल आवंटन का लगभग 76% है। मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा निर्भया कोष से जारी की गई और उपयोग की गई राशि का योजना/परियोजना-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (च): निर्भया कोष के तहत परियोजनाएं/योजनाएं मांग आधारित हैं। निर्भया कोष के फ्रेमवर्क के तहत अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन कार्यक्रम अलग-अलग है। इसके अलावा, कुछ मूल्यांकित परियोजनाएं सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/आईए द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, हालांकि, अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)

प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें केंद्र सरकार संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के निर्धारित निधि साझेदारी पद्धति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करती है तथा अनुमोदित कार्यान्वयन अवधि के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमीन पर कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें सेवाएं प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार आईए/प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय का विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर आगे निधि जारी की जाती है। इसलिए, यह संभव है कि वास्तव में अधिक निधि का उपयोग किया गया हो, किंतु जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार आवश्यकतानुसार उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय का विवरण (एसओई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/आईए से प्राप्त नहीं हुए हों। सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय, संविदा देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कोविड-19 जैसे अप्रत्याशित कारणों से होने वाली रुकावटें आदि जैसे कई अन्य कारक भी योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

निर्भया कोष के फ्रेमवर्क के तहत गठित अधिकारियों की अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) निर्भया कोष के तहत वित्तपोषण के प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करती है और संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर समय-समय पर स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और व्यय की स्थिति की समीक्षा भी करती है। इसके अलावा, परियोजना/योजना कार्यान्वयन मंत्रालय/ विभाग/एजेंसियां भी अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती हैं।

*****

अनुलग्नक

'निर्भया कोष योजना' के संबंध में 02.08.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1997 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मंत्रालय/विभाग	परियोजना का नाम	जारी निधि (करोड़ रुपये)
गृह मंत्रालय	आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस)	364.03
	केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ)	200
	महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) और सीसीपीडब्ल्यूसी के तहत उप-परियोजना	174.39
	दिल्ली में जिला और उप-मंडलीय पुलिस स्टेशन स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं की सुविधा।	5.01
	नानकपुरा में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और उत्तर पूर्व क्षेत्र (एसपीयूएनईआर) के लिए विशेष इकाई के लिए महिला केंद्रित सुविधाओं वाला नया भवन	21.35
	दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा की योजना	9.96
	8 शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई के लिए सुरक्षित शहर प्रस्ताव	1577.76
	सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए लैब की स्थापना	42.84
	30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ करना	185.59
	यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने और फोरेंसिक किटों की खरीद में जांच अधिकारियों (आईओ)/ अभियोजन अधिकारियों (पीओ) का प्रशिक्षण	48.23
	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण	113.76
	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	159.68
रेल मंत्रालय	एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस)	313.75
	कोंकण रेलवे स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान	17.64
	महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2109 टैब्स की खरीद	5.13
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा उपकरण का विकास और फील्ड परीक्षण	3.49

न्याय विभाग	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना	834.55
पर्यटन मंत्रालय	मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल	13.7
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अभयम परियोजना, आंध्र प्रदेश सरकार	58.64
	सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा, यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश सरकार	80.92
	बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कर्नाटक सरकार द्वारा भारी यात्री वाहनों के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करना	42.38
	राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी)	220.1
	मध्य कमान नियंत्रण केंद्र से निगरानी के साथ तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की बसों में एसओएस बटन के साथ वाहन ट्रैकिंग उपकरणों की स्थापना	11.53
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)	853.78
	महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल)	93.31
	महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी)	16.32
	चिराली प्रस्ताव, महिला सशक्तीकरण निदेशालय	4.71
	महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से मुक्त स्मार्ट और सुरक्षित शहर कार्यक्रम, मध्य प्रदेश सरकार	1.04
	महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा, उत्तराखंड सरकार	0.31
	निर्भया शेल्टर होम, नागालैंड सरकार	2.55
	निर्भया डैशबोर्ड विकसित करने के लिए एनआईसीएसआई	0.24
	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए मिशन शक्ति	8.25
	मणिपुर में 16 महिला बाजारों में भंडारण बक्सों की स्थापना	1.6
	मणिपुर में 16 महिला बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाना	0.88
	उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास, व्यावसायिक-डिजिटल प्रशिक्षण, सुरक्षा और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए डीआईसी केंद्रों में महिला स्वावलंबन केंद्र (एमएसके) की स्थापना के लिए मिशन शक्ति-2.0	14.06
	उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 7 परियोजनाएं	11.49
	कुल योग	**5512.97**